



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222505  
CG-DL-E-16102020-222505

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3228]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942

No. 3228]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2020

सं. 101/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 3640(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के उप-वाक्य (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 जिसे का.आ. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

सारणी में, भूटान सीमांत भूमि से संबंधित क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (4) की संबंध में कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)
			(क) भारत के जयगांव बाजार को भूटान के फूएंटसोलिंग को जोड़ने वाली सड़क; और (ख) भारत के टोरसा टी गार्डन को भूटान के आहले को जोड़ने वाला ऐशियन हाईवे 48

[फा. सं. 554/01/2018-एलसी]

बुलो मामु, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना को का.आ. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 15 जनवरी, 2020, जिसे का.आ. 208(अ), दिनांक 15 जनवरी, 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th October, 2020

**No. 101/2020- Customs (N.T.)**

**S.O. 3640(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 63/1994-Customs (N.T.), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 830(E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994, namely:-

In the said notification. -

In the TABLE, against serial number 3 relating to land frontier of Bhutan, for column (4) corresponding to item (4) in column (3), the following entry shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
			(a) The road connecting Jaigaon Bazar in India and Phuentsholing in Bhutan; and (b) The Asian Highway 48 connecting Torsha tea garden in India and Ahllay in Bhutan.

[F.No. 554/01/2018-LC]

BULLO MAMU, Under Secy.

**Note:** The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 830(E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994 and was last amended *vide* Notification No. 03/2020-Customs (N.T.) dated the 15<sup>th</sup> January 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 208 (E), dated the 15<sup>th</sup> January 2020.